न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 03 / 77 / 2019
तारीख दायरा : 05.04.2019

उनवान

1. अब्दुल हमीद पुत्र श्री धूपा खां जाति मेव निवासी ग्राम नांगल सोहन तहसील रैणी जिला अलवर।

.............प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. तहसीलदार साहब रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.............अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)
उपस्थित – श्री रविन्द्र कुमार मीना एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 02.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 16 / 0.46, 189 / 0.04, 62 / 0.10, 78 / 0.30 कुल किता 4 रकबा 0.90 है0 खाता संख्या 10 वो आराजी खसरा नम्बर 167 / 0.51, 190 / 0.34, 68 / 0. 26, 96 / 0.62 कुल किता 4 रकबा 1.73 है0 खाता संख्या 11 वाके ग्राम नांगल सोहन तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात का प्रार्थी 1 / 4 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आराजी प्रार्थी को बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुई है और प्रार्थी अपना हिस्सा अनुसार उपरोक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद पुत्र श्री धूपा खां जाति मेंव निवासी ग्राम नांगल सोहन तहसील रैणी जिला अलवर है और प्रार्थी को इसी अब्दुल हमीद खां नाम से जाना जाता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों में प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद खां दर्ज है लेकिन उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दियों में प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद खां के स्थान पर रसीद पुत्र धूपा दर्ज कर दिया है जो इन्द्राज कतई गलत है तथा खिलाफ कानून है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद खां के स्थान पर रसीद पुत्र धूपा जाति मेंव सा0 देह खातेदार दर्ज कर देने से प्रार्थी के हकूक खातेदारी प्रभावित हो गये है जिसके कारण प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी से पूरा फायदा नही मिल रहा है तथा प्रार्थी की उक्त आराजी के रिकॉर्ड में त्रुटि रहती है जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर कुठारघात हो

रखा है। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रसीद पुत्र धूपा जाति मेव सा0 देह खातेदार के स्थान पर अब्दुल हमीद खां पुत्र धूपा जाति मेव सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया अप्रार्थीगण तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पटवारी हल्का कानेटी एवं तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "मुताबिक हाल जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 16/0.46, 189/0.04, 62/0.10, 78/0.30 कुल किता 4 रकबा 0.90 है0 खाता संख्या 10 वो आराजी खसरा नम्बर 167/0.51, 190/0.34, 68/0.26, 96/0.62 कुल किता 4 रकबा 1.73 है0 खाता संख्या 11 वाके ग्राम नांगल सोहन तहसील रैणी जिला अलवर में प्रार्थी का नाम रसीद पुत्र धूपा जाति मेव सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज एवं रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत कानेटी, सहमति पत्र व शपथ पत्र के सही नाम अब्दुल हमीद पुत्र धूपा जाति मेव है। अतः प्रार्थी का नाम रसीद पुत्र धूपा जाति मेव के बजाय अब्दुल हमीद पुत्र धूपा जाति मेव शुद्ध किया जाना उचित है।"

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2074—75 खाता संख्या 10, 11 वाके ग्राम नांगल सोहन, राशनकार्ड, अंकतालिका, आधार कार्ड पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत कानेटी, सहमति पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी एवं पटवारी हल्का कानेटी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट पटवारी हल्का कानेटी व तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम अब्दुल हमीद खां पुत्र धूपा ही है। इसप्रकार पटवारी हल्का कानेटी व तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी का सही नाम रसीद पुत्र धूपा की बजाय अब्दुल हमीद खां पुत्र धूपा होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 16/0.46, 189/0.04, 62/0.10, 78/0.30 कुल किता 4 रकबा 0.90 है0 खाता संख्या 10 वो आराजी खसरा नम्बर 167/0.51, 190/0.34, 68/0.26, 96/0.62 कुल किता 4 रकबा 1.73 है0 खाता संख्या 11 वाके ग्राम नांगल सोहन तहसील रैणी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रसीद पुत्र धूपा के स्थान पर अब्दुल हमीद खां पुत्र धूपा दर्ज किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)